

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में सरकारी कालेजों के विकास के लिए अनुदान

3887. चौधरी हरमोहन सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक दल ने उत्तर प्रदेश में सरकारी कालेजों के विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौट क्या है;

(ग) कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई है और अब तक कितनी अनुदान राशि दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार, एक समिति जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सदस्य, दो शिक्षाविद् तथा एक वि० अनु० आ० का अधिकारी शामिल था, ने उत्तर प्रदेश में पात्र कालेजों के 8वीं योजना विकास प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दिसम्बर, 1991 में लखनऊ का दौरा किया। राज्य में 40 राजकीय कालेजों में से 27 कालेजों ने अपने 8वीं योजना विकास प्रस्ताव प्रस्तुत किये, जिनका समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया था। समिति की सिफारिशों के आधार पर आयोग ने इन 27 कालेजों के लिए 239.50 लाख रु० का आवंटन अनुमोदित किया है जिसमें से 41.91 लाख रु० की राशि पुस्तकें, पत्रिकाएं व उपकरण खरीदने के लिए पहली किस्त के रूप में संस्वीकृत किए गए हैं।

आरक्षण-विरोधी आन्दोलन में अन्तर्ग्रस्त शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही

3888. श्रीमती सत्या बहिन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंडल आयोग की सिफारिशों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के पश्चात् आरम्भ हुये आरक्षण विरोधी आन्दोलन

को बढ़ावा देने में कुछ शिक्षक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अन्तर्ग्रस्त थे; और

(ख) यदि हां, तो कितने शिक्षकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में (कुमारी शैलजा): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Representation of Southern States in U.G.C.

3889. SHRI G.G. SWELL:
SHRI SUBRAMANIAN
SWAMY:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the U.G.C.'s membership has been reconstituted in 1992;

(b) whether it is also a fact that there is no representation of Professor/Vice-Chancellor in the above body from the Southern Universities;

(c) whether it is also a fact that in the 1989-92 commission, in the 1986-89 commission and 1983-86 commission in the parts at least two Southern States were represented; and

(d) if so, the reasons for exclusion of representative from Southern States in the U.G.C.'s reconstituted body for the year 1992-1995?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) Section 5(1) of the UGC Act provides that the Commission shall consist of:—

(i) a Chairman

(ii) a Vice-Chairman and